इकाई 9 दिव्यांगता

9AH821

- दिव्यांगता के कारण
- दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार
- चोट लगने पर प्राथमिक उपचार
- दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं सामाजिक दायित्व

पिछली कक्षा में हमने स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से पढ़ा है। हम सभी ये जानते हैं कि यदि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई रोग नहीं है और उसमें सभी कार्यों को करने की पर्याप्त क्षमता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है।

आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने आस-पास देखा है जो स्वस्थ तो हैं किन्तु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं है, कुछ हमारे आप की तरह बोल या सुन नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं, किन्तु किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से संबधित कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी तो व्यक्ति के सिर पर चोट लगने से वह अपना मानसिक संतुलन ही खो देता है। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती हो, दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं।

हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है। दिव्यांग से तात्पर्य है एक अतिरिक्त शक्ति। कभी-कभी हम जब अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो हमें उनकी आँखों से उनकी अक्षमता दिखती है और वे अपने आप को असहज एवं कमजोर समझने लगते हैं। जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं। ये वे लोग है,

जिनके पास एक ऐसा अंग है जिसमें दिव्यता है। इसलिए विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहना चाहिए।

9.1 दिव्यांगता या अक्षमता

दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है। जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होता है। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष एवं दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O) के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग-अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना जिससे दिन-प्रतिदिन की क्रियाएँ प्रभावित होती है, उसे दिव्यांगता कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं।

दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता (Disability) होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशीय एवं स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ-पैर न होना आदि शामिल होते हैं जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंदबुद्धि आदि शामिल किये गये हैं।

9.2 दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण

दिव्यांगता अस्थाई, स्थाई अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती हैं।

जन्मजात दिव्यांगता

जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवांशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से हो सकती है।

उपार्जित दिव्यांगता

उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है । जैसे- दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना।

9.3 दिव्यांगता के प्रकार

जन्मजात या उपार्जित कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। इसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई-नई श्रेणियाँ प्रकाश में आई है। केन्द्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार इस प्रकार है -

दृष्टि बाधिता

आँखे हमें हमारे आस पास की चीजों को देखने के लिए सक्षम बनाती है। देखने की क्षमता को विजन, आई-साईट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टि बाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है।

लोकोमोटर दिव्यांगता

हड्डियों, जोड़ों या माँसपेशियों की अक्षमता को लोको मोटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैलेसी, प्रैâक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाती है।

श्रवण दिव्यांगता

किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना, सामान्य रुप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता हैं। बच्चा, परिवार या आस पास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण

बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है।

डिस्लेक्सिया

डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार हैं जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफी कम होती है। यह3-15 साल के बच्चों में सामान्यत: पाया जाता है। डिस्लेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है।

डिसग्राफिया

डिसग्राफिया सुसंगत (अच्छे ढंग से) रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिह्नित है। डिसग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेंलिग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप में लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है।

9.4 चोट लगने पर प्राथमिक उपचार

विद्यालय में अक्सर चोट लगने पर शिक्षिका तुरन्त दवाई-पट्टी करतीं हैं। एवं स्थिति गम्भीर होने पर चिकित्सक के पास ले जातीं हैं। अब जरा सोचकर बताइए यदि शिक्षिका तुरन्त दवाई-पट्टी नहीं करतीं तो क्या होता ? चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरन्त उपचार न दिया जाये तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरन्त उपचार दिया जाता है। इस प्रारम्भिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं।

प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार चिकित्सक का विकल्प नहीं है।

प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है इस पेटी या बॉक्स

को प्राथमिक उपचार पेटी (FIRST AID BOX) कहते हैं। यह पेटी प्रारम्भिक रूप से रोगी का उपचार करने के लिए बहुत उपयोगी है

चित्र 9.1प्राथमिक उपचार पेटी

प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएँ होती हैं -

1. अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गॉज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया (छोटा), माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि

2. कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए जैसे - पैरासिटामॉल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ओ.आर.एस. का पैकेट, पेन बॉम, एंटी सेप्टिकक्रीम, नमक, शक्कर आदि।

पैरासिटामॉल टेबलेट - बुखार उतारने, ग्लूकोज तथा ओ.आर.एस. का पैकेट-उल्टी, चक्कर रोकने का काम करता है। एण्टी सेप्टिकक्रीम तथा डिटॉल-घाव को सं क्रमण से बचाने के लिए उपयोग करते हैं।

कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है जैसे -

- डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए।
- प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाओं को अलग-अलग रखना चाहिए।
- दवाएँ खरीदते समय व उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख अवश्य देख लेना चाहिए।
- प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाओं को

अलग-अलग रखना चाहिए।

- दवाएँ खरीदते समय व उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख अवश्य देख लेना चाहिए।
- ऐसी दवाएँ जिसके उपयोग की तारीख निकल चुकी है उन्हें प्राथमिक - उपचार पेटी से निकालकर उनके स्थान पर नई दवाएँ रख देना चाहिए।
- यात्रा पर जाते समय, प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य साथ ले जाना चाहिए।

कुछ और भी जानें

बाजार से खरीदी गई दवाईयों पर निर्माण दिनांक (Mfg.D) तथा उनके उपयोग की अन्तिम दिनांक (Exp.D) लिखी होती है। दवाई खरीदते और उपयोग करते समय यह दिनांक जरूर प़ना चाहिए, क्योंकि (Exp.D) की दवाईयाँ लेना बहुत नुकसानदेह होता है।

हमारे आस-पास किसी को भी चोट लगने, जलने, पानी में डुबने, जहरीले जानवर के काटने, नकसीर फूटने, कुत्ते के काटने जैसी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं ऐसे में क्या-क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यह जानना भी आवश्यक है -

चोट लगने पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार

- यदि चोट गम्भीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए।
- घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बन्द करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा हो सकता है।
- तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊँचा रखना चाहिए।
- ऐसे में यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने पर रक्त का बहाव कम होता है।
- चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए।
- चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए।
- साधारण चोट हो तो एण्टी-सेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बाँध देना

चाहिए। पर गम्भीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए।

- चाहिए, यह जानना भी आवश्यक है -

9.5 दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अन्तर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं -

निम्नलिखि सात राष्ट्रीय संस्थान है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये इस प्रकार हैं -

- शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून
- राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान, कोलकाता
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
- राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई
- राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थन, कटक
- राष्ट्रीय बहु-विकलांग सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई

कुछ और भी जानें

- दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 03 दिसम्बर 2015 को विश्व दिव्यांग दिवस अवसर पर प्रदान किया गया।
- उत्कृष्ट एवं बाधारहित वातावरण के लिए डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास

विश्वविद्यालय लखनऊ को 03 दिसम्बर 2014 विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

- 40 प्रतिशत या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है।
- दिव्यांगता 40 प्रतिशत है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा सामुदायकि स्वास्थ्य केन्द्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम (आई.डी.डी.सी)

आईडीडीसी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है।

मोबिलिटी इंटरनेशनल यूएसए (MIUSA) अंतर्राष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतराष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है।

9.6 दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाये और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति घर, परिवार एवं समाज पर बोझ हैं। आज राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की जाती हैं जिनमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अत: हमारे दिव्यांग साथियों ने भी सिद्ध कर दिया हैं कि वह किसी से कम नहीं हैं। उन्हें समानता के अवसर मिलने चाहिए। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना चाहिए। अक्सर हमारे दिव्यांग-साथी जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, जिससे

उनकी उन्नति में बाधा पहुँचती है। यह हम सबका सामाजिक कर्त्तव्य हैं कि हम अपने दिव्यांग-साथियों को सरकारी-योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें। ताकि हमारे दिव्यांग-साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।

कुछ और भी जानें

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जाता है।
- पहला पैरा ओलम्पिक खेलों का आयोजन सन् 1960 में रोम में किया गया था।
- प्रत्येक वर्ष3 दिसम्बर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हमने सीखा

- शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को दिव्यांगता कहते हैं।
- वर्तमान में 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है।
- प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है। जिसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं।
- दवाईयों की निर्माण दिनांक एवं अन्तिम दिनांक देख कर ही खरीदनी व उपयोग करनी चाहिए।
- बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. दिये गये विकल्पों में सही विकल्प चुनिए

(क) श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं -

(i) सुनने में (ii) बोलने में

(iii) सुनने एवं बोलने में (iv) देखने में

(ख) हड्डियों, जोड़ो या माँसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं -

(i) डिस्लेक्सिया (ii) दृष्टिबाधिता

(iii) डिसग्राफिया (iv) लोकोमोटर दिव्यांगता

(ग) विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है -

(i)3 जनवरी को (ii)3 जून को

(iii)3 दिसम्बर को (iv)3 अगस्त को

2. निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही (√) तथा गलत कथन के सामने गलत (X) का चिह्न लगाइए -

(क) प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएँ होनी चाहिए।

(ख)एण्टीसेप्टिकक्रीम सं क्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है।

(ग) अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए।

(घ) डिसग्राफिया सुंसंग ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है।

(ङ) दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है।

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए -

(क) मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफी ..... होती है।

(ख) डिस्लेक्सिया कोई ..... बीमारी नहीं है।

(ग) प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे ..... कहते हैं।

(घ) पहला पैरा-ओलम्पिक खेल का आयोजन सन् ..... में ..... में किया गया था।

(ङ) भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ..... व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए -

(क) प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं ?

(ख) दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए।

(ग) प्राथमिक उपचार पेटी में कौन-कौन सी वस्तुएँ होनी चाहिए?

(घ) दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व हैं ?

(ङ) डिस्लेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं ?

प्रोजेक्ट कार्य

- कक्षा के सभी छात्र-छात्राएँ मिलकर अपनी कक्षा के लिए एक प्राथमिक उपचार पेटी तैयार करें, आवश्यकता पड़ने पर अपने शिक्षक एवं शिक्षकाओं का सहयोग ले सकते हैं।
- दिव्यांगों के प्रति अपने दायित्व एवं कर्तव्यों की परिचर्चा अपने सहपाठियों से करके

अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए।

BACK